मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *512
30.03.2026 को उत्तर के लिए

पर्यावरण/भूजल प्रदूषण की निगरानी के लिए विशेष तंत्र

***512. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में वर्तमान में कितनी कंपनियां पर्यावरण में निर्धारित मानकों से अधिक जहरीले रसायनों का उत्सर्जन कर रही हैं;

(ख) वर्ष 2021-2026 के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोलक और दमनगंगा नदियों की जल गुणवत्ता की जांच करने के लिए किए गए निरीक्षणों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और निरीक्षणों की तारीख, रिपोर्टों की संख्या और पाए गए उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे उद्योगों अथवा साझा बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध अब तक कारण बताओ नोटिस तथा उन्हें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं और उक्त निरीक्षणों के आधार पर उन पर पर्यावरण प्रतिकर भी लगाया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यावरण/भूजल प्रदूषण की निगरानी के लिए कोई विशेष तंत्र या विशेष कृतिक बल गठित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त संघ राज्यक्षेत्रों में कितनी दवा कंपनियों को कर में छूट प्रदान की गई है; और

(च) क्या प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी कंपनियों/कारखानों को प्रदान की जाने वाली राजसहायता बंद कर दी गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

स्थिति-12वीं

'पर्यावरण/भूजल प्रदूषण की निगरानी के लिए विशेष तंत्र' के संबंध में श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा दिनांक 30.03.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *512 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) / प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत स्थानों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में सतही जल (नदियों / झीलों) और तटीय जल की गुणवत्ता की निगरानी करता है। दमनगंगा नदी में 13 निगरानी स्थल हैं जिनमें से 10 डीएनएच और डीडी में और 3 गुजरात में स्थित है। गुजरात में कोलक नदी में 2 निगरानी स्थल हैं।

डीएनएच एंड डीडी प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) ने 2021-26 के दौरान कोलक और दमनगंगा नदियों के जल की गुणवत्ता की जांच के लिए 40 निरीक्षण किए हैं। उल्लिखित अवधि के दौरान कुल 560 रिपोर्टें तैयार की गई हैं। वर्षवार आंकड़े इस प्रकार हैं:

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	रिपोर्टों की संख्या
2021	12	168
2022	12	168
2023	0	0
2024	12	168
2025	4	56
2026	0	0

गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, 2021-26 के दौरान, कोलक और दमनगंगा नदियों के जल की गुणवत्ता की जांच के लिए 310 निरीक्षण किए गए हैं।

एनडब्ल्यूएमपी के तहत निगरानी की गई जल गुणवत्ता डेटा को सीपीबीसी वेबसाइट https://cpcb.nic.in/nwmp-data/ पर अपलोड किया जाता है।

सीपीसीबी ने वर्ष 2023 से 2025 की अवधि के दौरान एक सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) सहित छह उद्योगों का निरीक्षण किया और एक मामले में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया तथा तीन मामलों में अनुपालन के लिए निर्देश जारी किए गए। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) ने सूचित किया है कि उन्होंने जनवरी 2025 से फरवरी 2026 की अवधि के दौरान 196 कारण बताओ नोटिस, 36 निर्देश नोटिस और 36 निर्देश जारी किए हैं।

दिनांक 01.01.2025 से अब तक डीएनएच एंड डीडी द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर, पीसीसी ने वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत उद्योगों को बंद करने के कुल 28 आदेश, 2 दिशा-निर्देशों के नोटिस और 35 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

प्रदूषण नियंत्रण समिति, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को जल अधिनियम की धारा 21 और 23 तथा वायु अधिनियम की धारा 24 और 26 के तहत विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र करने सहित निरीक्षण और निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। डीएनएच एंड डीडी संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित / संचालित उद्योगों में पर्यावरण अनुपालन का प्रवर्तन करने के लिए कुल 11 तकनीकी कर्मचारियों को नामित किया गया है।

इसके अलावा, दमन के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने दमन जिले में वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए भूजल संसाधनों के अत्यधिक दोहन को रोकने, दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए 11.02.2026 को एक आदेश जारी किया है, आदेश के अनुसार, दमन जिले में संचालित न्यूनतम 3000 वर्ग फीट की प्लिंथ/आच्छादित क्षेत्र वाले सभी उद्योगों को अनिवार्य रूप से वर्षा जल संचयन/जल स्तर का पुनर्भरण की व्यवस्था करनी चाहिए और उद्योगों कोभूजल संसाधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए नवीनतम जल सापेक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए। आदेश में अनुपालन के लिए एक समिति का भी प्रावधान है, जिसमें डिप्टी कलक्टर, कार्यकारी अभियंता (पीडब्ल्यूडी) और दमन के मामलातदार शामिल हैं।

डीएनएच एंड डीडी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में, दादरा और नगर हवेली जिले में माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत दवा कंपनियों को कोई कर छूट लाभ प्रदान नहीं किया जाता है। इसके अलावा, निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत केवल उन कंपनियों/कारखानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है जिन्होंने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति से वैध संचालन सहमति (सीटीओ) प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।
